उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 17.07.2024
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा
उत्तर प्रदेश पुलिस

मिशन शक्ति अभियान-4 के तहत जनपद के समस्त थानों में गठित एण्टी रोमियों टीमों द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त कर शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरुक किया गया-

"मिशन शक्ति अभियान फेज - 4.0" व "शक्ति दीदी" अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 17.07.2024 को जनपद के प्रत्येक थाने में गठित मिशन शक्ति/एण्टीरोमियों पुलिस टीम द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रअन्तर्गत स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके विरुद्ध हो रहे विभिन्न अपराध जैसे- सार्वजनिक स्थलो में छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं/अपराधओं को रोकने के लिये एवं ऐसे अपराधों के प्रति आवाज उठाने के लिये उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया।

इस दौरान उनकी सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर, वूमेन पावर लाइन 1090, यूपी कॉप एप, महिला हेल्प लाइन181, मुख्यमंत्री हेल्प लाइन 1076, चाइल्ड हेल्प लाइन 1098, साइबर हेल्पलाइन 1930 इत्यादि के बारे में जानकारियां प्रदान की गई । इस दौरान सभी को अवगत कराया गया कि सभी थानों में उनकी सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा उनकी शिकायतें सुनी जाती हैं तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है ।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान पीडितों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया, प्राप्त जन समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक 17.07.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी। जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना जा रहा है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं को लेकर आये उन सभी की समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाये जाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में सभी अधीनस्थों को निर्देशित किया गया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर पर हो सकता है उन सभी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण थाना स्तर पर ही कराना सुनिश्चित किया जाये किसी भी फरियादी को परेशान न किया जाये; सभी से सम्मान पूर्वक बर्ताव किया जाये, निर्देशित किया गया कि घटना की तथ्यात्मक जानकारी करते हुये गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये याद रखे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिये, किसी भी पीड़ित से गलत व्यवहार की सूचना प्राप्त होने पर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी ।

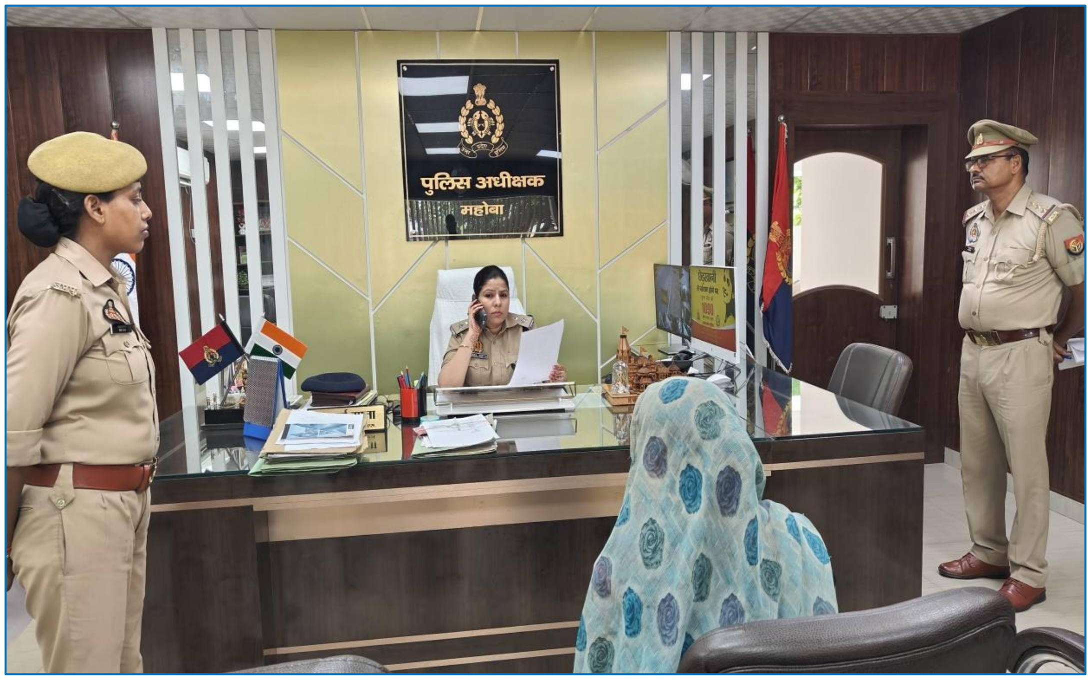

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने
गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही एवं जनपद में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.07.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकांत गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम के उ0नि0 मधुरेश त्रिपाठी मय हमराह का. जयदीप पटेल द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 110/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त श्यामकरन उर्फ संजय कुशवाहा पुत्र कल्लू उर्फ कलुआ कुशवाहा उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम गुढ़ा थाना चरखारी जनपद महोबा को ग्राम गुढा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कर्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

श्यामकरन उर्फ संजय कुशवाहा पुत्र कल्लू उर्फ कलुआ कुशवाहा उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम गुढा थाना चरखारी जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 मधुरेश त्रिपाठी
2. का.जयदीप पटेल

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने
वांछित अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही एवं जनपद में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.07.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकांत गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम के उ0नि0 राजनारायण मय हमराह हे0का0 श्याम सिंह व हे0का0 रामबाबू गौतम द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना स्थानीय में पंजीकृत मु.अ.सं. 169/2024 धारा 115(2)/352/351(3)/109 BNS से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त राहुल वर्मा पुत्र उदयभान वर्मा उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम चंदौली थाना खरेला जनपद महोबा को मय एक अदद देशी पिस्टल .32 बोर, एक अदद कारतूस खोखा व एक अदद जिंदा कारतूस .32 बोर नाजायज बरामद करते हुए थानाक्षेत्र के जरौली तिराहा मोहल्ला शेखनफाटक कस्बा चरखारी से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 170/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राहुल वर्मा पुत्र उदयभान वर्मा उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम चंदौली थाना खरेला जनपद महोबा।

बरामदगी-

एक अदद देशी पिस्टल .32 बोर नाजायज, एक अदद कारतूस खोखा .32 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .32 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजनारायण
2. हे.का.श्याम सिंह
3. हे.का. रामबाबू गौतम

थाना कबरई की पुलिस टीम ने 02 नफर अभियुक्तों को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री व परिवहन की रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.07.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह के नेतृत्व में गठित प्रथम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त अजय बसोर पुत्र राजू बसोर उम्र करीब 24 वर्ष के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम सुकौरा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 रामेन्द्र कुमार गौतम के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर एक नफर अभियुक्त अंश सिंह पुत्र द्रिवेद्र सिंह उम्र करीब 19 वर्ष के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करत हुए पाल खोड़ा ग्राम मकरबई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 188/24 मु0अ0सं0 189/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही गिरफ्तार अभियुक्तों को उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया। ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अजय बसोर पुत्र राजू बसोर उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम रैवारा थाना कबरई जनपद महोबा।

2. अंश सिंह पुत्र द्रिवेद्र सिंह उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली प्रथम पुलिस टीम-

1. उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह
2. उ0नि0 प्रशान्त दीक्षित
3. कां0 अर्जुन सिंह

गिरफ्तार करने वाली द्वितीय पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामेन्द्र कुमार गौतम
2. कां0 अवनेश कुमार
3. कां0 नईम अहमद

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने अन्धे हत्याकाण्ड के वांछित अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री व परिवहन की रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.07.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रविकान्त गौड, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर श्री शिवपाल सिंह के निर्देशन में गठित टीम के व0उ0नि0 कन्हैयालाल यादव, उ0नि0प्रशि0 सत्त्यम मिश्रा द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 128/24 धारा 103(1)/238 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त हिमांशू रैकवार पुत्र रामदास रैकवार उम्र करीब 23 वर्ष निवासी वार्ड नं0 37 पुराना विजावर नाका शांतीनगर कालौनी छतरपुर थाना सिविल लाइन्स जनपद छतरपुर म0प्र0 को मय एक अदद तमंचा देशी 12 बोर मय 02 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर नाजायज बरामद करते हुए भण्डरा तिराहा प्रतीक्षालय के पास ग्राम भण्डरा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 142/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।।

गिरफ्तार अभियुक्त –

हिमांशू रैकवार पुत्र रामदास रैकवार उम्र करीब 23 वर्ष निवासी वार्ड नं0 37 पुराना विजावर नाका शांतीनगर कालौनी छतरपुर थाना सिविल लाइन्स जनपद छतरपुर (म0प्र0)

बरामदगी–

एक अदद तमंचा देशी 12 बोर मय 02 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर नाजायज बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शिवपाल सिंह
2. व0उ0नि0 कन्हैयालाल यादव,
3. उ0नि0 यूटी सत्त्यम मिश्रा,
4. का0 हरिओम यादव,
5. का0 अजय सोनकर